संयोजन में

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (भारतीय राजव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

25 जनवरी, 2022

व्यक्तिगत दायित्व तभी सार्थक होता है जब अधिकारों की गारंटी राज्य द्वारा दी जाती है।

एक लोकतांत्रिक समाज का विकास नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के विस्तार के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जो लोगों के सशक्तिकरण की ओर ले जाता है। लोकतांत्रिक राष्ट्र नैतिक और महत्वपूर्ण कारणों से व्यक्तिगत और समूह के अधिकारों का सम्मान करते हैं।

कानूनी और नैतिक दोनों तरह के कर्तव्यों को उन अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए पोषित किया जाता है। सामूहिक के प्रति व्यक्ति के दायित्वों को उस संदर्भ में समझा जाना चाहिए; अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी आती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक द्विभाजन का सुझाव देने की मांग की, जब उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि देश ने "अधिकारों के लिए लड़ने" और "किसी के कर्तव्यों की उपेक्षा" करने में बहुत समय बर्बाद किया है। उनका भाषण पहली बार नहीं था जब उन्होंने या अन्य हिंदुत्व के नायकों के अधिकारों पर कर्तव्यों के अग्रभूमि का आह्वान किया था।

गुमनाम और बेमिसाल राष्ट्र-निर्माताओं की सेवा और बलिदानों ने आधुनिक भारतीय गणराज्य का आधार बनाया है, लेकिन उनका बलिदान वास्तव में अधिकारों, गरिमा और स्वायत्तता के लिए था। अधिकारों और कर्तव्यों के प्रतिकूल या पदानुक्रमित होने की कोई भी धारणा परिष्कृत है।

भारतीय संविधान समानता और स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों के साथ-साथ शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों और संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है। भारतीय लोकतंत्र के गहन होने से अधिकारों का विस्तार हुआ है - शिक्षा, सूचना, गोपनीयता, आदि अब कानूनी रूप से गारंटीकृत अधिकार हैं। इन अधिकारों के प्रति राज्य की निष्ठा सबसे कम है। आमतौर पर नागरिक देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए कर्तव्यबद्ध होते हैं, और यह भारत के लिए सच है, हालांकि कोई भर्ती नहीं है। अपेक्षित अन्य संवैधानिक कर्तव्यों में सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच की भावना विकसित करना शामिल है।

राज्य की नीति में अधिकारों से कर्तव्यों पर जोर देना बेतुका होगा और कई लोगों के लिए अहित होगा जिनके लिए मौलिक अधिकारों की प्राप्ति अभी भी प्रगति पर है। एक प्रबुद्ध नागरिक प्रगति और सुशासन के लिए महत्वपूर्ण है।

लेकिन कर्तव्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो नागरिक राज्य के प्रति ऋणी हों। राष्ट्र की सामूहिक खोज के लिए व्यक्तिगत नागरिकों का दायित्व तब सार्थक हो सकता है जब उनके अधिकारों की गारंटी राज्य द्वारा दी जाती है।

नागरिक को सार्वजनिक सड़क का उपयोग करने का अधिकार है, और यातायात नियमों का पालन करने का उनका कर्तव्य है। अधिकार और कर्तव्य केवल संयोजन के रूप में सार्थक हैं।

प्रधानमंत्री की टिप्पणियां इस पृष्ठभूमि के खिलाफ आती हैं- नागरिकों के अधिकारों पर औपचारिक और अनौपचारिक प्रतिबंध राज्य की जबरदस्त शक्तियों के साथ बढ़ रहे हैं। कर्त्तव्यों के साथ अधिकारों का गैर महत्वीकरण सामाजिक संबंधों के गणतंत्रवादी मूल्यों में असहमति की छाया उत्पन्न करते हैं।

परंपरागत रूप से कर्तव्य-संचालित समाज के रूप में भारत का उत्सव इसके साथ श्रम के एक शोषक विभाजन और संवैधानिकता के विरोधी मानदंडों का अपरिहार्य अर्थ रखता है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह प्रगति नहीं है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस नेता की प्रतिमा के होलोग्राम का अनावरण इंडिया गेट पर किया गया है?

(क) सरदार पटेल

(ख) सुभाषचंद्र बोस

(ग) भगत सिंह

(घ) वीर सावरकर

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Recently the Prime Minister has unveiled the hologram statue of which of the following leader at India Gate?

(a) Sardar Patel

(b) Subhas Chandra Bose

(c) Bhagat Singh

(d) Veer Savarkar

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. "राष्ट्र की सामूहिक खोज के लिए व्यक्तिगत नागरिकों का दायित्व तब सार्थक हो सकता है जब उनके अधिकारों की गारंटी राज्य द्वारा दी जाती है।" टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द)

Q. "The obligation of individual citizens to the collective pursuit of the nation can be meaningful when their rights are guaranteed by the state." Comment (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।